

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० 736/2012/03(120)/XXVII(8)/07

दिनांक: देहरादून: 03 अगस्त, 2012

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपटित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं० 519/2012/03(120)/XXVII(8)/07 दिनांक 30 मई, 2012 का क्रियान्वयन तत्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

सं० 736 / 2012 / 03(120) / XXVII(8) / 07 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 736/2012/03(120)/XXVII(8)/07 dated, 03 August, 2012 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8


No. 736 /2012 /03(120)/XXVII(8)/07

Dehradun :: Dated: : 03 August, 2012

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to postpone with immediate effect, the implementation of the notification no. 519/2012/03(120)/XXVII(8)/07 dated 30 May, 2012 till further orders.


(Radha Raturi)

Secretary